G.O.202/कार्य०

15-4-2002

संख्या-91 वित्त/10/38-3-2002-500(1)/98
(टी०सी०)

प्रेषक,

लीना जौहरी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ::दिनांक:: 10 अप्रैल, 2002

विषय- विधायक निधि के मार्ग-दर्शी सिद्धान्त के संशोधित संस्करण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-4560(1)/38-3-98-300(1)/98, दिनांक 22-12-98 के द्वारा विधायक निधि के संचालन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त की प्रतियां आपको उपलब्ध कराई गयी थी ।

2- समय-समय पर क्षेत्रों की आवश्यकताओं के संदर्भ में मा0 सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त सुझाओं को दृष्टिगत रखते हुये 12 दिसम्बर, 1998 में जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त में आवश्यक संशोधन किये गये ।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी संशोधनों की स्वतः स्पष्ट एवं अव्यतन रुप से संशोधित संस्करण एवं आवश्यक शासनादेशों की प्रति संलग्न कर आपके उपयोगार्थ प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीया,

(लीना जौहरी)
विशेष सचिव ।

संख्या-91 वित्त/10(1)/38-3-2002-तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को मार्गदर्शी सिद्धान्त की संशोधित प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल ।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- स्टाफ आफिसर एवं विशेष सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

C:\RD3\VNJP.DOC\MOHD.NASIM\20-2-2002

6- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
8- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10- ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग ।
11- गार्ड बुक ।

अज्ञा से,

(लीना जौहरी)
विशेष सचिव।

C:\RD3\VNJP.DOC\MOHD.NASIM\20-2-2002